प्रेस विज्ञप्ति
30.01.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी के पूर्व सहायक उप निरीक्षक (एएसआई)/मंत्रालयी कर्मचारी रूप सिंह मीना के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय रंगारेड्डी न्यायालय, हैदराबाद में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 28.01.2026 को पीसी का संज्ञान लिया।

तेलंगाना पुलिस द्वारा सीआईएसएफ कर्मियों के राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) अंशदान की राशि को बेईमानी से और बिना किसी अधिकार के अन्य सेवारत और गैर-सेवारत (इस्तीफा दे चुके) सीआईएसएफ कर्मियों के एनपीएस खातों में स्थानांतरित करने का आरोप में दिनांक 18.04.2023 को आईपीसी, 1860 की धारा 409 और 420 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 418/2023 के आधार पर ईडी ने रूप सिंह मीना के खिलाफ जांच शुरू की। । स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (एसटी) के बैंक खातों के विवरण में हेरफेर किया गया और समय से पहले निकासी का अनुरोध करके हेरफेर किए गए बैंक खातों से एनपीएस की गबन की गई धनराशि निकाल ली गई। यह गबन रूप सिंह मीना (तत्कालीन हेड कांस्टेबल/क्लर्क) द्वारा किया गया था, जो एनआईएसए, हैदराबाद के एनपीएस अनुभाग में संलग्नता पर तैनात था और उसके पास सीडीडीओ सीआईएसएफ एनआईएसए, हैदराबाद के सभी ग्राहकों के एनपीएस खातों तक पूर्ण पहुंच के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल थे। इस तरह, रूप सिंह मीना ने 60,26,321 रुपये की राशि का गबन किया। इस मामले की जांच जून 2025 में सीबीआई और एसीबी, हैदराबाद को सौंप दी गई थी।

ईडी की जांच में पता चला कि रूप सिंह मीना ने एनपीएस की हेराफेरी से निकाले गए धन को लॉन्डर करने के लिए अपने नाम के साथ-साथ परिवार के सदस्यों, दोस्तों और अन्य असंबंधित व्यक्तियों (जिन्हें उनके खातों के उपयोग के वास्तविक उद्देश्य की जानकारी नहीं थी) के नाम पर कई बैंक खातों का इस्तेमाल किया। अपराध से प्राप्त धन को कई बैंक खातों में जमा किया गया और फिर उसे अपने बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया और/या नकद में निकाला गया। उसने अपराध से प्राप्त धन का एक बड़ा हिस्सा अपनी शादी के खर्चों, चिकित्सा उपचार, पुराने कर्जों को चुकाने, डेयरी व्यवसाय में निवेश और अन्य व्यक्तिगत खर्चों में खर्च कर दिया।

इससे पहले, अंतरिम कुर्की आदेश संख्या 25/एचवाईजेडओ/2025 दिनांक 25.03.2025 के तहत, पीएमएलए, 2002 की धारा 5(1) के अंतर्गत रूप सिंह मीना की 80,626/- रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों की पहचान कर उन्हें कुर्क कर लिया गया था।